SL No. – 7 (i)

वनसरक्षंण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–1
(प्रयोक्ता एर्जेसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. **परियोजना विवरण :–**

i. **अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण ।**

लोक निर्माण विभाग संभाग रामानुजगंज द्वारा अम्बिकापुर से बनारस मुख्य मार्ग में वाहनों के आवागमन की बढ़ती संख्या के कारण वाड्रफनगर में आवागमन अधिकाशत: बाधित होता है तथा सड़क दुर्घटनाएं भी बहुत अधिक बढ़ गई है इस कारण से वाड्रफनगर में बनारस मुख्य मार्ग से वाड्रफनगर बायपास मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक हो गया है। वाड्रफनगीर बायपास मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, नया रायपुर द्वारा प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, वाड्रफनगर बायपास मार्ग की कुल लम्बाई 5.47 कि. मी. है, तथा बी.टी. कार्य की चौड़ाई 13 एवं 12 मीटर है तथा मार्ग पर डामरीकरण का कार्य सिर्फ 10 मीटर चौड़ाई पर प्रस्तावित है। वाड्रफनगर बायपास मार्ग निर्माण में 0.178 हे. राजस्व वन भूमि व 4.753 हे. सरंक्षित वन भूमि कुल 4.931 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है ।

प्रभावित भूमि का खसरा वार विवरण :–

क्र.	जिला/ वनमण्डल	तहसील/ वन परिक्षेत्र	ग्राम	खसरा/ कक्ष क्रमांक	भूमि का प्रकार	आवेदित रकबा (हे.)
1	बलरामपुर	वाड्रफनगर	रजखेता	1084	छोटे झाड़ का जगंल	0.039
2				P-702	सरंक्षित वन	1.534
3			वाड्रफनगर	1340	छोटे झाड़ का जगंल	0.068
4				1327	छोटे झाड़ का जगंल	0.071
5				P-695	सरंक्षित वन	0.942
6				P-694	सरंक्षित वन	1.701
7				P-690	सरंक्षित वन	0.576
	योग :–					**4.931**

ii. **1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप ।**

प्रस्तावित वन भूमि का डी.जी.पी.एस. सर्वे द्वारा प्राप्त कार्डिनेट के अनुसार बायपास मार्ग को टोपोशिट एवं वन मानचित्र पर अंकित कर उसकी सत्यापित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

iii. **परियोजना की लागत ।**

2080.95 लाख रूपये अनुमानित है ।

iv. **वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य ।**

लोक निर्माण विभाग संभाग रामानुजगंज द्वारा नगर पंचायत वाड्रफनगर, अम्बिकापुर से बनारस मुख्य मार्ग पर स्थित है तथा वाड्रफनगर नगर क्षेत्र प्रारंभ एवं नगर के अन्त पर दोनो ओर एवं वन क्षेत्र है, जिसके कारण प्रस्तावित वाड्रफनगर बायपास मार्ग के निर्माण से वन भूमि प्रभावित हो रही है बायपास मार्ग निर्माण में वन क्षेत्र के अलावा और कोई अन्य विकल्प नही है ।

v. **लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)**
लागत लाभ विश्लेषण की आवश्यकता नही है ।

vi. **रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है ।**
वाड्रफनगर मार्ग निर्माण कार्य में लगभग 20 कुशल एवं 80 अकुशल मानव दिवस प्रतिदिन दो वर्षो हेतु रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है ।

2. **कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण**

वाड्रफनगर बायपास मार्ग निर्माण होने से अम्बिकापुर से बनारस जाने वाले सभी भारी एवं हल्के वाहनों को नगर की सीमा के पूर्व से ही विस्थापित किया जाएगा जिससे उन्हे भी सरस एवं सुगन आवागमन मिल सकेगा जिसके कारण वाड्रफनगर नगर क्षेत्र में भी आवागमन बाधित नही होगा तथा बढ़ती दुर्घटनाओं से भी नगर वासियों को निजात मिल पायेगा ।

3. **परियोजना के कारण लोगो को हटाने का विवरण, यदि कोई है ।**

वाड्रफनगर बायपास मार्ग निर्माण प्रभावित भूमि पर किसी प्रकार का आबादी क्षेत्र नही है मार्ग निर्माण में किसी प्रकार का विस्थापन नही किया जाएगा ।

i. **परिवारों की संख्या**
निरंक

ii. **अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की सख्या**
निरंक

iii. **पुर्नवास योजना (संलग्न किए जाने के लिए) ।**
आवश्यकता नही है ।

4. **क्या पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है (हां/नही)**

आवश्यक नही

5. **प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए) ।**

एल.डब्लू.ई. जिला अन्तर्गत होने के कारण आवश्यक नही ।

6. **निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा ।**

उपरोक्तानुसार

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर

(एम.एल. शर्मा)

कार्यपालन अभियंता

लो.नि.वि. संभाग रामानुजगंज